

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-01

देहरादून: 02 फरवरी, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत नवनिर्मित सूचना महानिदेशालय भवन के फायर हाइड्रेंट कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, वित्त अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-1362/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 व पत्र संख्या:-610/3(150)/XXVII(1)/2017, 30 जून 2017 एवं महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड के पत्र सं0-64/सू.एवं.लो.सं.वि.(लेखा)/बजट आवंटन/2017-18, दिनांक 18 जनवरी, 2018 तथा शासनादेश संख्या-449/XXII(1)/2017-2(2)2011, दिनांक 27 सितम्बर, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत फायर हाइड्रेंट कार्य हेतु ₹ 1466 हजार (₹ चौदह लाख छियासठ हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसी व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3- धनराशि को उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

4- यदि किसी योजना/शीर्षक मद में आय-व्ययक 2017-18 में बजट प्रावधान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय-व्ययक प्रावधान की सीमा तक ही व्यय किया जायेगा

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2018 तक करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- उपर्युक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अ०र्द्ध०शा०सं०-241मतदेय/xxvii(5)/2018, दिनांक जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)।

प०संख्या- 67 (1)/XXII/2018-02(2)2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

hira...
(मंगल सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

आवंटन पत्र संख्या - 67/xxii(1)/18-2(2)2011

अनुदान संख्या - 014

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Information (S024)

अलोटमेंट आई डी - S1802140001

आवंटन पत्र दिनांक - 01-Feb-2018

HOD Name - Director Information (4731)

60 - अन्य भवन

- लेखा शीर्षक 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
- 051 - निर्माण
- 03 - सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था
- 00 - सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	Voted
			योग
24 - वहत निर्माण कार्य	12000000	1466000	13466000
	12000000	1466000	13466000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1466000

(Handwritten Signature)

(मंगल सिंह बिष्ट)
उप सचिव,
सूचना विभाग
उत्तराखण्ड शासन।